अध्याय-15
विचार गोष्ठियां

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-10) विभाग

जयपुर, अक्टूबर 17, 1976

प्रेषक:-

शासन सचिव, गृह विभाग।

प्रेषिति:-

1. पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला दण्डनायक,
3. समस्त पुलिस अधीक्षक,
4. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
5. समस्त सहायक लोक अभियोजक प्रथम व द्वितीय श्रेणी।

विषय:- **पुलिस व अभियोजन अधिकारियों के मध्य विचार गोष्ठियों के माध्यम से सहयोग।**

महोदय,

संख्या एफ.25(4) गृह/ग्रुप-10/76:-अपराधों की रोकथाम के मामले में पुलिस एवं अभियोजन शाखाओं के मध्य सामंजस्य होना अनिवार्य है ताकि एक दूसरे की कठिनाइयों को उचित परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। अन्वीक्षा हेतु अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने व न्यायालय द्वारा निर्णय देने तक समय-समय पर ऐसे अवसर उपस्थित होते रहते हैं जबकि पुलिस व अभियोजन अधिकारियों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस सम्बन्ध में अक्सर समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अत: राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुलिस व अभियोजन अधिकारियों के नियमित विचार गोष्ठियों के द्वारा विचार विमर्श कर समस्याओं के तात्कालिक हल ढूंढे जायें और मुकदमों की अभियोजन प्रगति को सुगम व द्रुत बनाने हेतु कदम उठाये जायें। राज्य सरकार ने ऐसी मीटिंग बुलाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है।

जहां नगर दण्डनायक के मुख्यालय हैं, वहां नगर दण्डनायक अन्यथा उपखण्ड दण्डनायक, अपने अपने मुख्यालय पर पदस्थापित सभी सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय श्रेणी की प्रति माह एक निश्चित तारीख पर मीटिंग बुलायेंगे। इस मीटिंग में सम्बन्धित पुलिस, वृत अधिकारी भी भाग लेंगे। वृत अधिकारी यदि आवश्यक समझेंगे तो अपने क्षेत्र के थानाधिकारियों को भी ऐसी मीटिंग में उपस्थित होने के लिए कहेंगे। जन अभियोक्ता, अतिरिक्त जन अभियोक्ता व सहायक लोक अभियोजक, प्रथम श्रेणी को भी इस मीटिंग की सूचना दी जायेगी ताकि वह चाहे तो उपस्थित हो सकें।

(नोट : पत्र क्रमांक अ.शा.प.सं.25(4)गृह-10/76 दिनांक 26.6.80 के द्वारा बैठकें आयोजित करने पर पुन: जोर दिया गया)

—●—